न्यायालय अपील अधिकरण (जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी:– गौरव अग्रवाल, आई.ए.एस.

भरण पोषण अपील संख्या: GCMS No.-2024/562

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थीगण**
1– दमयंती देवी पत्नी स्व. भोपालसिंह उम्र–85 वर्ष जाति माली, निवासी पहाड़िया बेरा, मगरा पूंजला, जोधपुर		1–रविन्द्र सांखला पुत्र स्व. भोपाल सिंह 2–ललिता पत्नी रविन्द्र सांखला निवासी पहाड़िया बेरा, मगरा पूंजला, जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 16(1), माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 04.09.2024 जो उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर (उत्तर) द्वारा प्रकरण संख्या 51–ए/2023 बअनवान दमयंती देवी बनाम रविन्द्र सांखला व अन्य में पारित किया गया।

उपस्थिति:–

1–अपीलार्थी अनुपस्थित।
2–प्रत्यर्थीगण अनुपस्थित।

आदेश

अपील अपीलार्थी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलार्थी/प्रार्थी की ओर से उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर (उत्तर) के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 32, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 सपठित नियम 21, राज़स्थान सरकार माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2010 बाबत अप्रार्थी संख्या–1 के हक में हकतर्कनामा दिनांक 24.01.2018 को निरस्त करने, अपीलार्थीया को उसके सहस्वामित्व की भूमि व अपने पति की रहवासीय हवेली वाके पडाड़िया बेरा, मगरा पूंजला का रिक्त आधिपत्य दिलाने एवं भरण पोषण राशि 50,000/– दिलाने हेतु प्रस्तुत, [illegible] पर अधीनस्थ उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर (उत्तर) द्वारा [illegible] कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.09.2024 को पारित किया गया, जिसमें अप्रार्थी

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

/प्रत्यर्थी संख्या–1 को अपीलार्थीया/प्रार्थिया को भरण पोषण राशि 5,000/– रूपये प्रतिमाह देने एवं अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण को अपीलार्थीया/प्रार्थिया को किसी भी प्रकार से शारिरीक व मानसिक रूप से परेशान एवं मार–पीट, गाली–गलौच नही करने, मकान को किसी भी प्रकार से खुर्द–बुर्द व बचान न करने एवं अपीलार्थीया/प्रार्थिया को मकान से बेदखल नही करने हेतु आदेशित किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज (GCMS No.-2024/562) कर प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये व अधीनस्थ अधिकरण का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अप्रार्थी/प्रत्यर्थी का नोटिस तामिल रिपोर्ट दिनांक 29.01.2025 को तामिल रिपोर्ट में अवगत कराया गया कि अप्रार्थीगण द्वारा नोटिस पढ़कर लेने से इंकार किया जिस कारण नोटिस मकान पर चस्पा किया गया। अधीनस्थ अधिकरण से मूल अभिलेख प्राप्त हो चुका है। अप्रार्थी/प्रत्यर्थी संख्या 1 दिनांक 29.01.2025 को कार्यालय उपस्थित हुए। नियत सुनवाई दिनांक 18.02.2025 को उपस्थित अपीलार्थीया/प्रार्थिया व अप्रार्थी/प्रत्यर्थी संख्या–1 का पक्ष सुना गया, इस प्रकार उभयपक्षकरान की बहस सुनी गई।

अपीलार्थीया/प्रार्थीया ने अपनी बहस में बतलाया कि अप्रार्थी/प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 क्रमशः उसका पुत्र व पुत्रवधु है। अपीलार्थी ने अधीनस्थ अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर (उत्तर)) के समक्ष माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण अधिनियम 2007 व राजस्थान सरकार माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2010 के तहत अप्रार्थी संख्या–1 के हक में हकतर्कनामा दिनांक 24.01.2018 को निरस्त करने, अपीलार्थीया को उसके सहस्वामित्व की भूमि व अपने पति की रहवासीय हवेली वाके पडाड़िया बेरा, मगरा पूंजला का रिक्त आधिपत्य दिलाने एवं भरण पोषण राशि 50,000/– दिलाने का आवेदन करने के उपरांत भी अपीलार्थीया/प्रार्थिया द्वारा चाहा गया अनुतोष प्रदान नही कर विधिक भूल की है। बहस में कहा गया कि अपीलार्थीया के पांच पुत्रियां है। अपीलार्थीया की पुत्रियां श्रीमती विजयलक्ष्मी, श्रीमती मधुलक्ष्मी, श्रीमती विद्या व श्रीमती नुतन पुत्रियां भोपालसिंह द्वारा दिनांक 10.10.2012 को हकतर्कनामा अपीलार्थीया व प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम से दोनो के हक में बराबर निष्पादित किया गया जो हकतर्कनामा का दस्तावेज उप पंजीयन कार्यालय द्वितीय जोधपुर में पुस्तक संख्या प्रथम जिल्द संख्या 1230 पृष्ठ संख्या 175 क्रम संख्या 2012015446 पर पंजीबद्ध किया गया तब प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपनी माता व बहिनों को विश्वास दिलाया था कि मैं अपने सभी सामाजिक दायित्वों को माताजी की सेवा करते हुए निर्वाह करूंगा तथा माता के रहने खाने पीने चिकित्सा सेवा चाकरी करूंगा व मान सम्मान का ख्याल रखूंगा, जिस कारण से प्रत्यर्थी संख्या 1 की बहिनों ने प्रत्यर्थी संख्या 1 की बातों पर भरोसा कर अपीलार्थीया व प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम हकतर्कनामा निष्पादित किया। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

हकतर्कनामा के बाद पुश्तैनी जमीन जायदाद को विक्रय करना शुरू कर दिया। प्रत्यर्थी संख्या 1 को हकतर्कनामा के बाद जो जमीने करीब 100 करोड रूपये की पुश्तैनी प्राप्त हुई उक्त जमीनो को प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा धीरे–धीरे विक्रय किया जाकर सुन्दर सिंह भण्डारी योजना के पास माता का थान, जोधपुर में करीब 160 प्लॉट काटकर विक्रय किये गये, जिसमें करीब 30–40 करोड रूपये प्राप्त हुए व रूपये प्राप्त होने पर प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा मण्डोर सेटेलाईट अस्पताल के पास एक बड़ी जमीन खरीदकर बडे कॉम्पलेक्स/मॉल निर्माण कार्य शुरू कर दिया। इसके अलावा मथानिया मेन रोड पर फार्म हाऊस की जमीन खरीदी जहां पर भी करीब 08–10 दुकाने बनी हुई है व अन्दर ट्यूबवेल भी बना है। जयपुर मेन रोड पर उसने 04 बीघा फार्म हाउस की जमीन खरीद की व एक कॉम्प्लेक्स मथानिया चौराहे पर निर्मित कर रहा है। इसके अलावा प्रत्यर्थी संख्या 1 ने चेनपुरा, मण्डोर रोड पर भी 8 बीघा जमीन खरीद की है व बोडियाला बेरा, माता का थान के पास भी 07 बीघा जमीन को भी झोपड पटटी वालों को यानि करीब 100 लोगो को किराये पर दे रखी है। जिससे एक झौपडपट्टी से 1000/– अक्षरे एक हजार रूपये किराया प्राप्त कर रहा है। प्रत्यर्थीगण के पास वर्तमान में करीब करोंडों रूपये पडे है इतना ही नहीं इस आय के कारण अपनी पुत्री को भी मण्डावता बेरा में दो मंजिला आलीशान मकान बनाकर दिया, इसके अलावा और भी पुश्तैनी सम्पति है। प्रत्यर्थी संख्या 1 को हकतर्क से प्राप्त जमीन को धीरे धीरे बेच कर 30–40 करोड रूपये एकत्रित कर लिये व उस रूपये से अपीलार्थीया की जानकारी अनुसार जमीने खरीद की है व प्लॉट भी खरीद किये है लग्जरी गाडिया भी खरीद कर रखी है व घर मे 5–6 नौकर व 3–4 ड्राईवर भी रख रखे है यानि कि प्रत्यर्थी संख्या 1 अत्यन्त धनाढय व्यक्ति पुश्तैनी जमीनों को विक्रय करने से हो चुका है। अपीलार्थीया पर भारी अत्याचार व तंग पेरशान करने लग गया है व अपीलार्थीया को पिछले कुछ सालों से रहवासीय मकान में निवास ही नहीं करने देता जबकि उक्त हवेली अपीलार्थीया के पति की है, जो बडी ढाई मंजिला हवेली बनी हुई है अपीलार्थीया उस हवेली के बाडे में जहां पर जानवरों को बांधते थे उसनें एक पुरानी टुटी हुई खाट लगा रखी है जिसमें न तो लेट्रिन बाथरूम की सुविधा है और न ही पीने का पानी ही है और न ही कोई पंखा कुलर इत्यादि ही है और उसे सर्दी गर्मी व बरसात में बाडे में ही रहना पडता है और रात को भी उसे बाडे मे ही सोना पडता है इतना ही नहीं प्रत्यर्थीगण अपीलार्थीया को खाना पीना भी समय पर नहीं देते है व अपीलार्थीया के साथ थापा मुक्की व मारपीट की गई व दो तीन मर्तबा गला पकड कर मारने की कोशिश भी की है अपीलार्थीया को आस पडौस के लोगो से व रिश्तेदारो से खाना मांग कर खाना पडता है इतना ही नही दमा शुगर व बी.पी. मानसिक रोग की पेशेन्ट भी है जिससे दवाई भी सरकारी अस्पताल में किसी के सहारे जाकर लानी पड़ती है व इसके अलावा इन प्रताडनाओं की वजह से मानसिक रोगी भी हो गई, डाक्टर राजदान से मानसिक रोग का लम्बा समय इलाज भी चला व इलेक्ट्रिक शॉक भी लगे है। अपीलार्थीया लगभग 85 वर्ष की है। जो अपने नित्य कार्य करने में सक्षम नहीं हैं

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

अपीलार्थीया व उसकी पत्नी अपीलार्थीया को जान से मारने की धमकी देते है गन्दी गन्दी गालिया देते है खाना समय पर नहीं देते है तथा खाना मांगने पर गाली गलौच कर गला दबाकर मारने की धमकिया देते है इस पर अपीलार्थीया की पुत्रियों द्वारा जाकर समझाने पर वह उल्टा धमकी देता है कि रामदेवरा लेकर जाऊंगा और गाडी से बाहर फेंक दूंगा। अपीलार्थीया दाने दाने के लिये मोहताज हो गयी ओर सामाजिक खर्चा हेतु भी कोई रूपये नहीं देते, यहां तक कि अपीलार्थीया के स्वयं के कपडे सोने चांदी के गहने व बचत के रूपये भी छीन लिये और अपीलार्थीया को पुराने कपडे पहनने के लिये देते तथा अपीलार्थीया द्वारा कपडों व गहने व रूपये की मांग करती तो अपीलार्थीया के साथ गाली गलौच व अभद्र व्यवहार करते है तथा अपीलार्थीया को प्रतिदिन अत्यधिक तिरस्कृत व अपमानित करते रहते है। अपीलार्थीया की कृषि भूमि जो कि ग्राम पूंजला मण्डोर व ग्राम बासनी जमीन को हकतर्कनामा दिनांक 24.01.2018 को उप पंजीयन कार्यालय तृतीय, जोधपुर में पुस्तक संख्या प्रथम, जिल्द संख्या 924 में पृष्ठ संख्या 11 क्रम संख्या 201803053100891 पर पंजीबद्ध करवा दिया गया और कहा कि अब मुझे इस डोकरी की कोई जरूरत नहीं है और मेरी बला से कल मरते आज मरे ओर मेरा पीछा छुटे व मैं घर मे नही रहने दूंगा व घर में आई तो जान से खत्म करवा दूंगा व हकतर्कनामा की फोटो प्रति भी इन्दु के मुंह पर मारी व कहा कि तुम मां बेटी से जो हो सके कर लेना, इसकी जानकारी अपीलार्थीया को हुई तो जानकर अपीलार्थीया के होश उड़ गए तथा अपीलार्थीया की पुत्री इन्दुलक्ष्मी सांखला द्वारा प्रत्यर्थी व उसकी पत्नी ललिता सांखला के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करने हेतु जिला विधिक प्राधिकरण से सम्पर्क किया गया तब उन्होने बताया कि वह उपखण्ड अधिकारी के समक्ष कार्यवाही करे व पुलिस में शिकायत देवें। प्रत्यर्थीगण के उपेक्षापूर्ण व क्रूरतापूर्ण व्यवहार के चलते अपीलार्थीया को भारी शारीरिक व मानसिक परेशानियों सामना करना पड़ा रहा है प्रत्यर्थी संख्या 1 प्रोपर्टी डीलर का कार्य करता है, जिससे उसे करीब 5,00,000/– अक्षरे पांच लाख रूपये माहवार आय प्राप्त होती है व अपीलार्थीया ने प्रत्यर्थीगण से निवेदन किया कि वह अपीलार्थीया के भोजन इलाज व भरण पोषण की राशि अदा करें लेकिन बावजूद प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थीया को भरण पोषण की राशि देने से स्पष्ट मना कर दिया जिससे अपीलार्थीया दर दर की ठोकरे खाने को मजबूर हो गई इतना ही नहीं प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपीलार्थीया की मानसिक बीमारी का फायदा उठाते हुए उसके हिस्से की राजस्व भूमि की फर्जी तरीके से हकतर्कनामा कर अपने नाम कर हडप कर ली जबकि अपीलार्थीया ने कभी भी अपने हिस्से की भूमि प्रत्यर्थी संख्या 1 के हकतर्क नहीं की है। इन परिस्थितियों में अपीलार्थीया द्वारा जो प्रत्यर्थीगण के हक में हकतर्कनामा दिनांक 24.01.2018 को उप पंजीयक तृतीय, जोधपुर के कार्यालय में पुस्तक संख्या प्रथम जिल्द संख्या 924 पृष्ठ संख्या 11 कम संख्या 2018103053100891 पर पंजीबद्ध किया गया है उस हकतर्कनामा को निरस्त कर, अपीलार्थीया के पति के कुल तीन मकान रहवासीय जायदाद वाकी हवेली वाके पहाडिया बेरा, मगरा पूंजला, जोधपुर है, जिममें से पंकज सॉखला के पास

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

वाले घर से प्रत्यर्थीगण को बेदखल कर कब्जा अपीलार्थीया को दिलाया जायें। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 के आय को नजरअंदाज करते हुये अपीलार्थीया के भरण पोषण का आदेश पारित किया गया है जो अपीलार्थीया भरण–पोषण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक से प्राप्त करने की अधिकारिणी है। अपीलार्थीया ने अपने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे स्पष्ट अंकित किया गया था कि अपीलार्थीया के पति द्वारा करोडो की सम्पत्ति अपीलार्थीया के पक्ष में निष्पादित की गई थी, जिसके अनुसार ही अपीलार्थीया ने प्रत्यर्थीगण से भरण पोषण के 50,000/– रूपये प्रतिमाह देने का अधीनस्थ न्यायालय मे निवेदन किया गया था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उन सम्पूर्ण तथ्यो एंव दस्तावेजी साक्ष्यो पर गौर नही करते हुये आलौच्य आदेश पारित किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थीया द्वारा पति द्वारा उक्त वाके डांडी, ज्योतिबा फुले पार्क के पास, जोधपुर मे निर्मित जायदाद में बनी हुई दुकानो बाबत एक नोटिस जरिये अधिवक्ता दिनांक 01.04.2024 को दुकानों के किरायेदार कल्याण सिंह टाक पुत्र श्री भरत सिंह, जाति माली, व नरेन्द्र सिंह पुत्र दामोदर लाल भाटी एंव अन्य दुकान अर्पित सांखला निवासीगण कागा की डांडी, ज्योतिबा फुले पार्क के पास जोधपुर जो उक्त दुकान में ईमित्र व फोटो कॉपी का कार्य करता है उसको किराये पर देने बाबत नोटिस दिया गया था. अपीलार्थीयों ने तीन वर्ष 6 माह का किराया बाकी है, किरायेदारो ने अपीलार्थीया को किराया देना ही बन्द कर दिया गया, उक्त किरायेदारों से किराया दिलाया जायें। बहस के अंत में अधीनस्थ अधिकरण के आदेश दिनांक 04.09.2024 को अपास्त किया जाकर अपीलार्थीया/प्रार्थिया को प्रतिमाह भरण पोषण हेतु 50,000/– रूपये प्रत्यर्थीगण से दिलाये जाये, हकतर्कनामा दिनांक 24.01.2018 को निरस्त करने एवं अपीलार्थीया/प्रार्थिया के रहवास हेतु उक्त सम्पत्ति से प्रत्यर्थीगण को बेदखल किया जाकर अपीलार्थीया/प्रार्थिया को उक्त सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्द किया जाये एवं अपीलार्थीया/प्रार्थिया के पति द्वारा निर्मित सम्पत्ति की दुकानो में मौजूद किरायेदारो से किराया अपीलार्थीया/प्रार्थिया को दिलाया जाने का आदेश करने की इस्तदुआ की।

प्रत्यर्थी/अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा अपनी बहस/जवाब प्रार्थना पत्र में बतलाया गया कि अपीलार्थीया के बीमार एवं विभिन्न रोगो से ग्रसित होने बाबत् तथ्यो के संबध में अपीलार्थीया द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी सं. 1 जो कि अपीलार्थीया का पुत्र है के द्वारा अपने मातृत्व कर्तव्यो की पालना करने पर अपीलार्थीया व उसकी पुत्रीयो द्वारा आपसी सहमति व पूर्ण स्वीकृति के तहत हकतर्कनामा का दस्तावेज दिनांक 10.10.2012 को प्रत्यर्थी सं. 1 व अपीलार्थी के हक में विभिन्न खसरा की भूमि व जायदाद बाबत निष्पादित किया था। उक्त दस्तावेज कार्यालय उप पंजीयक द्वितीय, जोधपुर के यहां अपीलार्थीया की पुत्रीयो द्वारा निष्पादित किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी सं. 1 की सेवा चाकरी व सद्भावनापूर्वक व्यवहार को देखते हुए प्रत्यर्थी सं. 1 के पुश्तैनी जायदादो को विभिन्न दस्तावेजात के जरिये प्रत्यर्थी सं. 1 को हस्तांतरित की गई जो कि पूर्णतया स्वीकृत तथ्य है

जोधपुर (राज.)

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

जिस बाबत अपीलार्थी द्वारा न तो इस अपील के तहत कोई ऐतराज किया गया तथा न ही अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन व निर्णित पत्रावली में उक्त ऐतराज किया गया। वास्तविक तथ्य यह है कि प्रत्यर्थी सं. 1 की बहिन श्रीमती इन्दु लक्ष्मी सांखला जो कि झगडालू एवं लालची प्रवृति की महिला है के द्वारा अपनी पुश्तैनी व प्रत्यर्थी सं. 1 को हस्तांतरित संपत्तियो को हडप करने की नियत से अपीलार्थी को झूठे व बेबुनियादी मुकदमें करने के लिये प्रेरित करती है व बार बार पुलिस थाना व अन्य विभागो में झूठे मुकदमें कर प्रत्यर्थी सं. 1 को तंग परेशान करती है। अपीलार्थीया/प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य कि प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा 30–40 करोड रूपये प्लॉट काटकर एवं विक्रय कर अर्जित किये गये है साथ ही मण्डोर सेटेलाईट अस्पताल के पास बडी जमीन खरीदकर मॉल का निर्माण किया जा रहा है एवं मथानिया मुख्य रोड पर फार्म हाउस खरीद कर दुकानो का निर्माण किया जा रहा है व अन्य तथ्य झूठे वर्णित किये गये है. उक्त तथ्यो के समर्थन में कोई दस्तावेज अपील के साथ पेश नहीं किया गया है, मात्र न्यायालय को गुमराह करने की नियत से अपीलार्थी द्वारा यह तथ्य वर्णित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा इस अपील में जिन जायदादो का वर्णन किया गया है, उक्त भूमि के संबंध में कमला बनाम नारायण सिंह प्रकरण सं. 56/2008 एसडीएम कोर्ट, जोधपुर में लम्बित है, उक्त विवादित जमीन प्रत्यर्थी सं. 1 के पडदादा केशुजी के नाम से है जिसमें आज कुल मिलाकर 500 खातेदार है, ऐसी स्थिति में अपील में वर्णित तथ्य की प्रत्यर्थी सं. 1 के द्वारा उक्त स्वामित्व जायदाद का बेचान किया जा रहा है, गलत होने से अस्वीकार है। इसके अतिरिक्त अपील में वर्णित रहवासीय मकान बाबत् बंटवाडा का दावा न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 9, जोधपुर महानगर में विचाराधीन है, उक्त वर्णित जायदाद विवादित होने बाबत् अपीलार्थीया को पूर्ण जानकारी है परंतु न्यायालय के समक्ष उक्त महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाकर अपीलार्थीया द्वारा गैर कानुनी तरीके से अंनुतोष प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा हमेशा से ही अपीलार्थीया के सम्मानजनक व संतोषजनक व्यवहार किया गया है, साथ ही अपनी माताजी को हर संभव तरीके से खुश करने का प्रयास कर समस्त मूलभूत सुविधाए प्रदान की गई। अपीलार्थीया के बीमार होने की दशा में प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा दवाईया, मेडिकल इत्यादि की सुविधाए प्रदान की जाती है। वर्तमान में एवं अधीनस्थ न्यायालय में उक्त प्रकरण के लम्बित व निर्णित होने के समय भी अपीलार्थीया प्रत्यर्थी सं. 1 के पास ही पूर्णतया सुविधाजनक स्थल पर निवास कर रही थी व समस्त प्रकार से प्रत्यर्थी सं. 1 व 2 द्वारा अपीलार्थी की सेवा चाकरी की जाती रही है परंतु अपीलार्थी की बहिन इन्दु लक्ष्मी द्वारा अपने नाजायज मंसुबो की पूर्ति करने लिये यह प्रकरण झूठे तथ्यो के आधार पर अपीलार्थी से पेश करवाया है। अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन पत्रावली के समय न्यायालय द्वारा नायब तहसीलदार जोधपुर से मौका रिपोर्ट व जाचं करवाई गई जिसमें नायब तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि अपीलार्थीया अपनी पुत्री इन्दु के साथ निवास कर रही है व पूर्व में प्रत्यर्थी सं. 1 के साथ उक्त मकान में निवास कर रही थी ऐसी स्थिति में यह तथ्य कि

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

अपीलार्थीया को असुविधाजनक क्षेत्र में प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा मजबूरीवश रखा गया है एवं तंग व परेशान किया जा रहा है, नायब तहसीलदार की उक्त रिपोर्ट से उक्त तथ्य पूर्णतया झूठे व मनगढत पाये गये, इसके अलावा अपीलार्थीया को उसकी पुत्री इन्दु द्वारा बहला फुसला कर अपने घर में ले गई। मात्र एक शिकायत प्रार्थना पत्र जो कि इन्दु लक्ष्मी सांखला जो कि प्रत्यर्थी सं. 1 की बहिन है के द्वारा दर्ज करवाई गई थी जिस पर भी बाद अनुसंधान पुलिस थाना माता का थान, जोधपुर द्वारा कोई सार व सच्चाई नहीं होने से शिकायत को बंद कर दिया गया। दिनांक 24.01.2018 को ग्राम पूंजला, मण्डोर व ग्राम बासनी की जमीन का हकतर्कनामा उप पंजीयक तृतीय, जोधपुर के यहां पंजीबद्ध करवाने के पश्चात अपीलार्थीया के साथ प्रत्यर्थी सं. 1 व 2 द्वारा गाली गलोच व जान से मारने की धमकियां दी जाकर हकतर्कनामा की फोटो प्रति इन्दु के मुंह पर मारने का तथ्य वर्णित किया गया है, गलत होने से अस्वीकर है। वास्तविक तथ्य यह है कि प्रत्यर्थी सं. 1 व 2 की सेवा चाकरी से प्रेरित होकर दिनांक 24.01.2018 को हकतर्कनामा का दस्तावेज प्रत्यर्थी सं. 1 की पुश्तैनी जायदाद बाबत् अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी सं. 1 के हक में निष्पादित किया गया जो वर्तमान में वैध व प्रभावी दस्तावेज है,परंतु इन्दु लक्ष्मी द्वारा अपीलार्थीया को बहला फुसलाकर प्रत्यर्थी सं. 1 के विरूद्ध मुकदमेंबाजी करने के लिये उकसाया जाता है, जबकि प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा वर्तमान में भी अपीलार्थीया की सेवा चाकरी की जा रही है साथ ही दिनांक 04.09.2024 को अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित आदेश की पालना में प्रति माह आदेशित राशि रूपये 5,000/– का भुगतान किया जा रहा है जिसकी रसीदे माननीय न्यायालय के समक्ष अवलोकन हेतु सादर प्रेषित है। वर्तमान में प्रत्यर्थी सं. 1 व 2 अपीलार्थीया को सम्मानजनक रूप से रखने को तैयार व तत्पर है पंरतु श्रीमती इन्दु द्वारा मात्र संपति हडप करने की नियत से अपीलार्थीया को झगडा करने व झूठे मुकदमें करने हेतु प्रेरित किया जाता है। बहस/जवाब प्रार्थना पत्र में आगे बतलाया गया कि अक्टूबर 2024 को सी आई साहब माता का थान के पास व एसडीएम ऑफीस में जाकर रिपोर्ट की कि साहब मैं मेरी माताजी को लेने मेरी बहिन श्रीमती इन्दु लक्ष्मी गहलोत पत्नी श्री देवेन्द्र सिंह गहलोत महामंदिर के घर पर गया तो वह मेरे साथ गाली गलोच व पत्थर फेकने चालू कर दिये वह घर के अंदर ही नहीं आने दिया व बोला कि तेरे को बर्बाद करना ही मेरा मकसद है, तेरे को पता है दो माह पहले तेरी कितनी बेईज्जती की जो मेरी माताजी का फेक विडियो बनाकर, माताजी उस समय मेरे पास थी व आज भी है, जबकि फेक विडियो में बताया वृद्ध आश्रम में रहना, अक्टूबर में सी आई श्री विक्रम सिंह जी मेरे माताजी को रहने के लिए घर पर लाये थे, साथ मेरी बहिन इन्दु लक्ष्मी भी आई थी, तब माताजी ने अपना कमरा खुलवाकर वापिस बंद कर दिया व बोला कि यह यहां नहीं रहेगी हम तो सिर्फ अपना सामान चैक रकने आये थे, तब सी आई साहब ने मेरी बहिन व माताजी को डांटकर कि आप ऐसे क्यो परेशान करते हो, जब आपको यहां रहना ही नहीं है। दिनांक 10.02. 2025 को माता का थान के नये सी आई साहब जाखड साहब आ गये तो उनके पास जाकर

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

मैने निवेदन किया तो सी आई साहब मेरी माताजी को मेरे घर लेकर आये तब उनके साथ मेरी बहिन इन्दु लक्ष्मी भी थी, तो उन्होने कहा कि आपने पहले भी सी आई साहब को परेशान किया है, अब मेरे को कर रही हो आपके भाई व भाभी बोल रहे है इस घर का कोई दूसरा कमरा ले लो लेकिन माताजी को आराम करने दो तब मेरी बहिन ने दो दूसरे कमरे खाली करवा कर लॉक लगा दिया व सी आई साहब व पुलिस वालो के जाने के दस मिनट बाद मेरी बहिन माताजी को लेकर अपने घर चली गई। मेरी बहिन इन्दु लक्ष्मी पावटा जिला अस्पताल में नर्स स्टॉफ के पद पर कार्यरत है उसने अपना हिस्सो मुझे हकतर्क नहीं किया है बाकी की चारो बहिनो ने मुझे अपना अपना हिस्सा हकतर्क कर दिया है, इसको मैं घर पर नहीं बुलाता हूं, इसने जमीन तो पहले से ही ले रखी है, मेरे को अब तेरे से मकान खाली करवाकर रोड़ पर लाना ही मेरा मकसद है ऐसा इन्दु लक्ष्मी आये दिन कहती रहती है तथा कहती है कि मुझे सरकार बहुत तनख्वाह देती है, मेरे साईड में भी बहुत कमाई है 6–7 मरीजो को घर पर बुलाकर दूसरा काम करती हूं, व मरीज मुझे 2–2 हजार आराम से देकर जाते है। मैने मेरी बहिन की पढाई लिखाई, शादी ब्याज किये उसके उपरांत भी मेरे से अपना हिस्सा व मकान में थे लिया व राजस्व रेकर्ड में नाम भी दर्ज है, इससे भी भरण पोषण का खर्च मांगना चाहिए, इतने वर्ष मेरी माताजी मेरे पास ही रही थी। बहस के अंत में अप्रार्थी/प्रत्यर्थी द्वारा अपील खारिज करने की इस्तदुआ की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ अधिकरण से प्राप्त मूल अभिलेख का भी अध्ययन किया। अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा अपील में मुख्य रूप से अधीनस्थ अधिकरण के आदेश दिनांक 04.09.2024 को अपास्त किया जाकर अपीलार्थीया/प्रार्थिया को प्रतिमाह भरण पोषण हेतु 50,000/– रूपये प्रत्यर्थीगण से दिलाये जाये, हकतर्कनामा दिनांक 24.01.2018 को निरस्त करने एवं अपीलार्थीया/प्रार्थिया के रहवास हेतु उक्त सम्पत्ति से प्रत्यर्थीगण को बेदखल किया जाकर अपीलार्थीया/प्रार्थिया को उक्त सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्द किया जाने एवं अपीलार्थीया/प्रार्थिया के पति द्वारा निर्मित सम्पत्ति की दुकानो में मौजूद किरायेदारो से किराया अपीलार्थीया/प्रार्थिया को दिलाया जाने का निवेदन किया गया। अपीलार्थीया एवं प्रत्यथीगण से संबंधित जायदाद/भूमि से संबंधित वाद प्रकरण संख्या 56/2008 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी में तथा रहवासीय मकान के बंटवाड़ा का वाद न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 9, जोधपुर महानगर में विचाराधीन है। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 5(1) में "धारा 4 के अधीन भरण पोषण के लिए आवेदन निम्न द्वारा किया जा सकता है– (क) वरिष्ठ नागरिक या अभिभावक यथास्थिति द्वारा: या (ख) यदि वह असमर्थ हो तो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत संगठन द्वारा:या (ग) अधिकरण स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान हो सकता है" का प्रावधान है। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 वरिष्ठ नागरिकों एवं माता–पिता के संरक्षण हेतु कवच/बचाव के लिए है न कि हथियार के

अधिकरण जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (राज.)

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

रूप में उपयोग में लाने हेतु बनाया गया है तथा अधिनियम की धारा 23 के अनुसार जायदाद से बेदखल कर कब्जा सुपुर्द कराने का प्रावधान नही है। उक्त अधिनियम का मुख्य मंतव्य वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है न कि जमीन–जायदाद के विवादों का निस्तारण करना, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी/प्रार्थी व प्रत्यर्थी/अप्रार्थी के मध्य सम्पति का विवाद का निस्तारण सक्षम न्यायालय द्वारा किया जाना उचित है। उक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ अधिकरण का आदेश हस्तक्षेप योग्य नही है अतः अधीनस्थ अधिकरण का आदेश यथावत रखा जाकर अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जाता है। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेश प्रति के साथ मूल अभिलेख संबंधित अधीनस्थ अधिकरण को सूचनार्थ एवं पालनार्थ पुनः लौटाया जावे। आदेश सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
अपील अधिकरण
(जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

अपील अधिकरण, जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

आदेश आज दिनांक 18.03.2025 को सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

अपील अधिकरण
(जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)